कार्यालय तहसीलदार महावन मथुरा

संख्या 344 /र0का0/नीलामी/2018 दिनांक 16 मई, 2018

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि सम्पत्ति रायबहादुर कुँवर गिरवरसिंह (मृतक) कुल रकवा 45 एकड 49डि0 स्थित ग्राम जगदीशपुर/खानपुर मथुरा के नीलामी द्वारा नये कृषि वर्ष हेतु (1 जुलाई 01.07.2018 से 30.06. 2019) पटटे/ठेके पर दिये जाने हेतु श्री अरविन्दकुमार सिंह द्वितीय, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी/महा प्रशासक एवं राज्य न्यासी (पदेन) उ0प्र0 न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 311 दिनांक 11.05.2018 के कम में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मथुरा के पृष्ठांकित आदेश दिनांक 11.05.2018 के अनुसार उपजिलाधिकारी महावन के आदेश दिनांक 15.05.2018 के अनुपालन में निम्नलिखित भूमि/रकवा को नये कृषि वर्ष 01.07.2018 से 30.06.2019 (1वर्ष) हेतु कृषि कार्य हेतु पटटे/ठेके पर दिये जाने हेतु नीलामी की जानी है। यह नीलामी अधिकारी तहसीलदार महावन द्वारा दिनांक 15.06.2018 को तहसील महावन सभागार में प्रातः 11.00बजे होनी थी, किन्तु दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन न होने के कारण पुनः नीलामी दिनांक 15.06.2018 को तहसील महावन में सभागार में 11—00बजे की जानी है।

नीलामी द्वारा पटटे/ठेके पर दिये जाने वाली भूमि का विवरण :—

ग्राम का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4
जगदीशपुर	20	28	1.412
		170अ	0.970
		191	15.074
		193	0.146
		153	0.016
		161	0.755
		170ब	0.045
		कुल 7 किता	18—418है0 (45.49एकड)

अतः उपरोक्तानुसार भूमि की नीलामी द्वारा पटटे/ठेके पर लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति नीलाम तिथि दिनांक 15.06. 2018 को तहसील सभागार तहसील महावन में प्रातः 11.00बजे उपस्थित होकर नीलामी में प्रतिभाग कर सकते है। विस्तृत जानकारी हेतु तहसील महावन के रजिस्ट्रार कानूनगो/नायव नाजिर कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।

तहसीलदार
महावन

प्रतिलिपि :—

1. विशेष सचिव एवं अपर विधिक परामर्शी/महाप्रशासक एवं राज्य न्यासी (पदेन) महोदय उ0प्र0 न्यायालय इलाहाबाद को सूचनार्थ।
2. जिला भूमि व्यवस्था अधिकारी मथुरा को सूचनार्थ।
3. उपजिलाधिकारी महोदया महावन को सूचनार्थ प्रेषित।
4. तहसीलदार मथुरा व मांट व छाता व गोवर्धन जनपद मथुरा को इस आशय से कि वह विज्ञप्ति की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये।
5. जिला सूचना अधिकारी मथुरा को दैनिक समाचार पत्रों, दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान में प्रकाशित कराने हेतु एवं प्रकाशन के पश्चात बिल भिजवाने हेतु।
6. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र मथुरा को नेट पर प्रकाशन हेतु।
7. नायव नाजिर सदर कलेक्ट्रेट मथुरा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. नायव नाजिर महावन को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

तहसीलदार
महावन